

बिहार सरकार  
सहकारिता विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- 29/05/26

संचिका संख्या-01/रा.स्था.(स्था./पद.)-43/2025.....2878...../सुश्री पूनम कुमारी, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., गोपालगंज के विरुद्ध लंबे समय से अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण बैंक के कार्यों का प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में सुश्री पूनम कुमारी का मुख्यालय-संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में सुश्री पूनम कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 में निहित प्रावधानों के तहत संबंधित स्थापना से नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

4. इसमें माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह./-  
(स्मृति कुमारी)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ..... / पटना, दिनांक .....

रा.स्था.(स्था./पद.)-43/2025

प्रतिलिपि :- उप सचिव (ई-गजट) कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं एक सॉफ्ट कॉपी (सी.डी.) सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह./-  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ..... / पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ..... / पटना, दिनांक .....  
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/संबंधित संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-08 सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ..... / पटना, दिनांक .....  
प्रतिलिपि :- सुश्री पूनम कुमारी, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमण्डल, छपरा को अधिसूचना की एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
उनसे अनुरोध है कि आरोपित पदाधिकारी को अधिसूचना का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह./-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 2878 ..... / पटना, दिनांक 29/05/26  
प्रतिलिपि :- सरकार के अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
29/5/26

सरकार के उप सचिव।